प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
, उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2018

विषय- जिला कारागार कासगंज के लिए शासनादेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा स्वीकृत 02 नग बजाज पल्सर-150बीएस-4 मोटरसाइकिल के स्थान पर टीवीएस कम्पनी की 02 नग अपाचे आरटीआर-160 मोटरसाइकिल क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10439/नजारत-4/71/वा0क्र0/2017, दिनांक-19 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-16/2018/85/22-4-18-48)(2)/18, दिनांक 27.02.2018 द्वारा जिला कारागार, कासंगज के लिए 01 नग बोलेरो एसएलई 2डब्लूडी बीएस-4 जीप के क्रय हेतु रू0 7,08,783/- एवं बन्दियों के चिकित्सार्थ 01 नग टाटा सूमो गोल्ड एम्बुलेंस ईएक्स के क्रय हेतु रू0 5,96,034/- तथा 02 नग बजाज पल्सर 150 बीएस-4 मोटर साइकिल क्रय हेतु रू0 1,31,249/- इस प्रकार कुल 04 नग नये वाहनों के क्रय किये जाने हेतु रू0 14,36,066/-(रूपया चौदह लाख छत्तीस हजार छियासठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा स्वीकृत 02 नग बजाज पल्सर 150 बीएस-4 मोटर साइकिल कीमत रू0 1,31,249/- के स्थान पर टीवीएस कम्पनी की 02 नग अपाचे आरटीआर-160 मोटरसाइकिल क्रय किये जाने हेतु रू0 1,38,638/-(रूपया एक लाख अड़तिस हजार छः सौ अड़तिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वाहनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गवर्नमेण्ट ई-मार्केटप्लेस (GEM) के माध्यम से किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहन की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे वाहन की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) वाहन क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य वाहन का क्रय न किया जाय।

(5) वाहन के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-14-मोटर गाडियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-496/दस/2018, दिनांक-28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या- 46/2018/359(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in